राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 5 (7) राज–2/2009 जयपुर, दिनांक : 26.08.2009

–: आज्ञा :–

विभाग की अधिसूचना संख्या प. 6 (4) राज/4/77/31 दिनांक 27.06.1991 द्वारा खरीफ संवत् 2048 (वित्तीय वर्ष 1991–92) से भू अभिलेख में दर्ज डेहरी, सेवज, खडिन, सैलाबी, तालाबी पेटा, कच्छार एवं खातली भूमि को छोड़कर समस्त बारानी भूमि को भू राजस्व के संदाय से मुक्त किया हुआ है।.

सहायता विभाग की अधिसूचना एफ.1 (1) (4) आ.प्र.स.आ./सामान्य/2009/11723–70 दिनांक 25.08.2009 के द्वारा राजस्थान ऐफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उक्त अधिनियम की धारा 6 से 10 तक के प्रावधानों के अनुसार राज्य के 26 जिलों के कुल 32833 ग्राम अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। उक्त 26 जिलों के आगे दर्शाये गये अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की सूची में अंकित कुल 32833 ग्रामों में उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधानों के तहत 15 जुलाई 2010 तक भू राजस्व वसूली स्थगित किये जाने की राज्य सरकार की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिलावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1	अजमेर	1125
2	अलवर	2059
3	बांसवाड़ा	1488
4	बाड़मेर	2179
5	भीलवाड़ा	1845
6	बीकानेर	927
7	बून्दी	885
8	चित्तौड़गढ़	1669
9	चूरू	912
10	दौसा	1090
11	डूंगरपुर	947
12	श्रीगंगानगर	1296
13	हनुमानगढ़	430
14	जयपुर	2273
15	जैसलमेर	761
16	जालोर	791
17	झुंझुनू	942
18	जोधपुर	1817
19	नागौर	1577
20	पाली	1050
21	राजसमन्द	1072
22	सवाई माधोपुर	352
23	सीकर	1168
24	सिरोही	487
25	टोंक	1177
26	उदयपुर	2498
	योग	32833

यह आदेश ऐसी भूमियों के भू राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू अभिलेख में तो बारानी , तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है, किन्तु उन भूमियों पर कुओं या अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक PSF/PS/100903659 दिनांक 26.08.2009 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से ,

Sd/-

(आर.एस.बक्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव , प्रथम एवं द्वितीय , माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री / माननीय सहकारिता मंत्री महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, माननीय सहायता मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव , अतिरिक्त मुख्य सचिव , विकास विभाग।
6. निजी सचिव , प्रमुख शासन सचिव वित्त / राजस्व / सहकारिता विभाग।
7. निजी सचिव , शासन सचिव राजस्व / वित्त (राजस्व) / सहायता विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान , अजमेर।
10. सम्बन्धित जिला कलेक्टर।
11. अतिरिक्त निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल राजस्थान , अजमेर।
12. शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व) / सहायता / सहकारिता विभाग / ग्रामीण विकास / पंचायती राज विभाग।
13. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग ।
14. रजिस्ट्रार , सहकारी समितियाँ , जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

26/8/09
उप शासन सचिव